अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, सिवान ।

पत्रांक 104 सिवान, दिनांक 30/01/25

प्रेषक :–

ई0 अनिल कुमार,
अधीक्षण अभियंता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज ।

विषय: शीर्ष MMGSY (AWSESH NDB) योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के अधीन MMGSY (AWSESH)-NDB-BRRP2-885-Maharajganj पथ निर्माण (Tender ID- 137734) कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 96 अनु0 दिनांक 16.01.2025 एवं पत्रांक 119 अनु0 दिनांक 24.01.2025

महाशय,

शीर्ष MMGSY (AWSESH NDB) योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के अधीन **MMGSY (AWSESH)-NDB-BRRP2-885-Maharajganj** पथ निर्माण **(Tender ID- 137734)** कार्य के निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार **Krit Narayan Pandey (603420)** द्वारा उद्धत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से **28.79** प्रतिशत कम है अर्थात कुल राशि 22,15,102.00 (बाईस लाख पन्द्रह हजार एक सौ दो) रूपये मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है ।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा ।
3. कार्यपालक अभियंता, संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ संबंधित एन0एस0सी0/पास बुक आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगें एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की उद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा ।
5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जाएगी ।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग, होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जाएगा ।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

7. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक विन्दु की जांच अपने स्तर से स्वंय कर लेंगें एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगें । त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी ।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर लेंगें एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो ।
9. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किए गए उपबंध से पुरी तरह आश्वस्त हो लेंगें एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें ।
10. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय ।
11. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगें कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा की जाय ।
12. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी ।
13. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किए गए संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगें अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय ।
14. इस कार्य का व्यय शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना से मिलने वाली राशि के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा ।
15. कार्य का प्रगति प्रविवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय ।
16. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है । आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरांत आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगें ।
17. एकरारनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिए गए कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगें । कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगें तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यो की प्रगति से संतुष्ट हो लेंगे ।
18. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय ।
19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे ।
20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगें ।
21. किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य निजी जमीन पर नहीं कराया जाएगा ।
22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे ।

विश्वासभाजन

30/11/25

(ई० अनिल कुमार)
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, सिवान ।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner